सं०सं०–1/मे०कॉ०बे०–01/2012–44(1)ब०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक :

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया।

पटना, दिनांक :– 21/12/2012

विषयः–राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया को विपत्र कोड– एन 2210051050023 में गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० 89,39,000/– (नवासी लाख उनचालिस हजार रुपये) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया को विपत्र कोड एन 221005105002 में गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में संलग्न विवरणी के अनुसार वेतनादि एवं अन्य प्राथमिक ईकाइयों में कुल रू० 89,39,000/– (नवासी लाख उनचालिस हजार रुपये) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2), दिनांक–17.04.98, 2356/वि०(2), दिनांक–12.04.06, 2938/वि०(2), दिनांक–08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दिनांक–18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि का वहन गैर योजना व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0005–मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड– एन 2210051050023 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में उपबंधित राशि से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. इस राशि से बकाये वेतन विपत्र की निकासी की जा सकेगी, बशर्ते कि प्राचार्य बकाये वेतन विपत्र की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये वेतन की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और उनका दावा नियमानुकूल है तथा नियमित वेतन विपत्र की निकासी में कोई कठिनाई न हो।

7. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

8. इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्त्तों के तहत् किया जाएगा।

10. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, बेतिया से की जाएगी।

11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

क्रमशः

ज्ञापांक:–1/ मे०कॉ०बे०–01/2012–44 (1)ब० /स्वा०, पटना, दिनांक :– 21/12/2012

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/ जिलाधिकारी, बेतिया/ कोषागार पदाधिकारी, बेतिया (पश्चिम चम्पारण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी–1/ संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

राजकीय मेडिकल कॉलेज, बेतिया विपत्र कोड एन 2210051050023 को वित्तीय वर्ष 2012–13 में अतिरिक्त राशि का आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
01 01 वेतन	2,00,00,000	1,80,00,000	20,00,000	2,00,00,000	0
01 03 जीवन यापन भत्ता	1,34,00,000	1,20,60,000	13,40,000	1,34,00,000	0
01 04 मकान किराया भत्ता	30,00,000	27,00,000	3,00,000	30,00,000	0
01 06 चिकित्सा भत्ता	2,40,000	2,16,000	24,000	2,40,000	0
01 07 अन्य भत्ता	2,25,000	2,02,500	22,500	2,25,000	0
योग– वेतन एवं भत्ते	**3,68,65,000**	**3,31,78,500**	**36,86,500**	**3,68,65,000**	0
06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति	20,000	10,000	10,000	20,000	0
11 01 यात्रा व्यय	10,000	5,000	5,000	10,000	0
13 01 कार्यालय व्यय	70,000	35,000	35,000	70,000	0
13 02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	2,00,000	1,00,000	1,00,000	2,00,000	0
13 03 दूरभाष	20,000	10,000	10,000	20,000	0
13 04 विद्युत प्रभार	20,000	10,000	10,000	20,000	0
13 05 विधि प्रभार	10,000	5,000	5,000	10,000	0
13 06 वर्दी / पोशाक	15,000	7,500	7,500	15,000	0
14 01 किराया महसूल एवं कर	20,000	-	20,000	20,000	0
16 01 प्रकाशन एव मुद्रण	10,000	5,000	5,000	10,000	0
20 02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	10,000	-	10,000	10,000	0
21 01 सामग्री एवं पूर्त्तियाँ	50,000	25,000	25,000	50,000	0
21 02 दवा भण्डार	10,000	-	10,000	10,000	0
28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	2,00,00,000	1,00,00,000	50,00,000	1,50,00,000	50,00,000
कुल योग :–	**5,73,30,000**	**4,33,91,000**	**89,39,000**	**5,23,30,000**	**50,00,000**

(रू० नवासी लाख उनचालिस हजार रुपये)

44(1) बट
21-12-12

20/12/2012

सरकार के संयुक्त सचिव।